बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय

द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: msssipb16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं0 सं0–एस0आई0पी0बी0 201700177(ii) Intt. Subv.& 490 दिनांक– 5 फरवरी, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय– मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को 8 मे0 टन प्रति घंटा क्षमता का राइस मिल की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में रू0 18,36,425/– (मात्र अठारह लाख छत्तीस हजार चार सौ पच्चीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को 8 मे0 टन प्रति घंटा क्षमता का राइस मिल की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 20–02–2017 में स्टेज–1 का तथा दिनांक 24–04–2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम– 7 (2) (iii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय उद्योग मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2525 दिनांक 17.08.2017 द्वारा श्री आर0 के0 उपाध्याय, उप निदेशक, तक0/ एस0 आई0 पी0 बी0 प्रभारी, बिहार, पटना एवं श्री निर्मल किशोर झा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 18.01.2017 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, भागलपुर के द्वारा मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर में ईकाई की स्थापना के निमित्त लिए गए टर्म लोन पर प्रथम किस्त के रूप में दिनांक–18.01.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक के अवधि के लिए रू0 36,68,447/–(मात्र छत्तीस लाख अड़सठ हजार चार सौ सैंतालिस रूपए) की एवं द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक–01.07.2017 से 30.09.2017 तक ब्याज अनुदान के रूप में रू0 18,90,930/–(मात्र अठारह लाख नब्बे हजार नौ सौ तीस रूपए) राशि अनुदान पूर्व में दिया जा चुका है।

4. तृतीय किश्त के रूप में दिनांक–01.10.2017 से 31.12.2017 तक ब्याज अनुदान के रूप में रू0 18,36,425/–(मात्र अठारह लाख छत्तीस हजार चार सौ पच्चीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षो तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षो तक स्थापित मशीन–उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगा।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

4. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं0—1513, दिनांक—25.05.17 एवं आवंटनादेश सं0—15 / आ0, दिनांक—29.05.17 के आलोक में मांग संख्या— 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष— 2852— उद्योग, उप मुख्य शीर्ष— 80— सामान्य, लघु शीर्ष—102—औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष— 0160— प्री—प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड— 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष— 0160.33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म—25 पर की जाएगी।

7- इस राशि का भुगतान मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को उनके भारतीय स्टेट बैंक, एस0 एम0 ई0, डाक बंगला, पटना में खाता संख्या 36382696538 IFS Code SBIN0004232 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक
—सह—
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 201700177(ii) Intt. Subv.& दिनांक— फरवरी, 2018

प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
उद्योग निदेशक
—सह—
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 201700177(ii) Intt. Subv.& दिनांक— फरवरी, 2018

प्रतिलिपिः वित्त विभाग,बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —
उद्योग निदेशक
—सह—
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 201700177(ii) Intt. Subv.& 490 दिनांक—5 फरवरी, 2018

प्रतिलिपिः— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर / उप उद्योग निदेशक (श्री उपाध्याय) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा—1 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, मेसर्स के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
—सह—
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।